

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-82/2010-11..... /राँची, दिनांक:.....

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग, के अधीन झारवाटर के गठन के फलस्वरूप विशेष सचिव जल संसाधन विभाग राँची को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारवाटर के रूप में कार्य करने हेतु अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

६०१-
(सीताकान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-82/2010-11..... /राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी०डी०सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

६०१-
(सीताकान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-82/2010-11..... /राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-
(सीताकान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-82/2010-11..... 26/10..... /राँची, दिनांक: 9-5-13.....

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड राँची/महामहिम राज्यपाल, झारखंड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन) के विशेष कार्य पदाधिकारी /प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखंड राँची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राँची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड राँची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखंड राँची/प्रबंध निदेशक, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि० राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबंध निदेशक, झालको राँची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब/इन्फॉर्मेशन मैनेजर: जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब० 7यो० एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीताकान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)